RAJYA SABHA

Monday, the 5th August, 1974/the 14th Sravana 1896 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विवाह की न्यूनतम आयु का बढ़ाया जाना

*295. **श्री जगदीश जोशी** :†
श्री ओइम् प्रकाश त्यागी :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री नागेश्वर प्रसाद शाही :
श्री नत्थी सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दृष्टि से बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 मे संशोधन करके विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

‡[**Raising minimum age for marriage**

*295. SHRI JAGDISH JOSHI :‡
SHRI O. P. TYAGI :
SHRI GUNANAND THAKUR :
SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI :
SHRI NATHI SINGH :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the minimum age for marriage by amending the Child Marriage Restraint Act, 1929 with a view to checking the population growth ; and

(b) if so, what are the details in this regard ?]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) (क) तथा (ख) बालक विवाह अवरो अधिनियम, 1929 में संशोधन के द्वारा विवाह के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर, पुरुषो की दशा मे इक्कीस वर्ष और महिलाओ की दशा में अट्ठराह वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

‡[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITI RAJ SINGH CHOWDHARY) : (a) and (b) A proposal for raising the minimum age for marriage in the case of a male to twenty-one years, and in the case of a female to eighteen years, by way of amendment to the Child Marriage Restraint Act, 1929, is under active consideration of the Government.]

श्री जगदीश जोशी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सारदा एक्ट है, यह जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम है, इसके अन्तर्गत किये गये जुर्म को कागनिजेबिल अफेंस बनाने का भी सरकार प्रयास कर रही है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इस विषय में प्रदेश शासनों को लिख कर उनकी राय ली थी तो उनमें से तमिलनाडु, केरल ौर हरियाणा ने परामर्श दिया है कि ऐसा करना चाहिये और पश्चिमी बंगाल, पंजाब और उड़ीसा ने इसका विरोध किया है और गुजरात ने इसको कागनिजेबिल बना दिया है ।

श्री जगदीश जोशी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ज़ाब्ता ताज़ीरात-हिन्द की दफा 376 के अनुसार अगर कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ कोई शारीरिक सम्पर्क करे तो ज़िना-बिल-जब्र का जुर्म होता है और शादीशुदा के साथ भी अगर वह उम्र में कम हो

†[ ] The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Joshi.

‡[ ]English translation.

तो उसके साथ भी शारीरिक सम्पर्क जो है वह जिना-बिल-जब्र है? तो अब क्या सरकार 376 वाली दफा की मंशा को नजर में रखते हुये इस पर कोई अन्य कार्यवाही करने के ऊपर विचार कर रही है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : दफा 376 तो है, जिस तरह से, उसी रूप में उसकी महत्ता है उसको घटाने की कोई कोशिश नहीं है, वह अपने स्थान पर है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रदेश शासनों से परामर्श कर रहे हैं और उसके पश्चात् जैसा सम्भव होगा जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जगदीश जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नही मिला । मेरा मतलब साफ था । जब दफा 376 ऐसे जुर्म को कागनिजेबिल मानती है और एक लड़की जो कि नाबालिग है, 14 वर्ष से कम उम्र की है, उसका गौना कर दिया गया है, वह पहुंच गई है, तो अदालत की नज़र में क्या माना जायेगा और उस पर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? एक भी इस प्रकार का केस हिन्दुस्तान में नहीं हुआ । तो जब तक सारदा एक्ट में यह बात नहीं लायी जायेगी तब तक पुलिस वाले कार्यवाही नहीं करेंगे । तो क्या इस तरह के कानूनी परिवर्तन की बात के ऊपर सरकार गौर कर रही है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : 376 जो है वह तो कागनिजेबिल है और दूसरी जगह उसको फिर से कागनिजेबिल बनाने से क्या होगा, जो काम करने वाले है उन पर है कि कौन उस पर महत्व देता है और कौन नहीं देता है ।

श्री ओइम प्रकाश त्यागी : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि वह विवाह की आयु 21 वर्ष करने वाले हैं जब कि सारदा एक्ट बाल विवाह के सम्बन्ध में पहले से बना हुआ है, तो मैं यह जानना चाहूंगा, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि सारदा एक्ट के अनुसार बाल विवाह के सम्बन्ध में जो कानून आपने बनाया हुआ है जब से बनाया है तब से आज तक कितने केसेज ऐसे आपके प्रान्तों में हुये हैं जिन्होंने कि बाल विवाह किया है और उनके खिलाफ सरकार ने केसेज़ चलाये हैं ? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आप जो 21 वर्ष की आयु करने जा रहे हैं तो फेमिली प्लानिंग की बात को और इस देश की जनसंख्या को ध्यान मे रखते हुये क्या यह आयु 25 वर्ष की करने की कृपा करेंगे, आप ऐसा आश्वासन देंगे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : आकड़ों का जो प्रश्न है यह तो प्रदेशों में है, मेरे पास आंकड़े नही हैं, मामले तो प्रदेशों में होते है, किन्तु जहां तक मेरी जानकारी है जितने भी ऐसे विवाहों को बन्द करने के लिये कार्यवाही हुई है वे व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण अधिकतर हुई है, सामाजिक सुधार की दृष्टि से नही है । दूसरे, जो आयु बढ़ाने की बात है तो उसके बारे में प्रदेशों से पूछा है, एक प्रेस कम्युनिके भी निकाला है, और 25 वर्ष की आयु के बारे में सिर्फ दिल्ली और केरल ने समर्थन किया है बाकी सब 21 तक चाहते हैं और कुछ प्रदेश 21 से भी कम चाहते हैं । इन्हीं सब बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : सभापति जी, सारदा एक्ट तो बहुत पहले से लागू है और इस सम्बन्ध में कई बार कई जगह केसेज़ वगैरह भी हुये हैं । दरअस्ल इसमें जरूरत है कि समाज में एक जागृति पैदा करे । समाज को समझाने की जरूरत है । इस सम्बन्ध में एक देशव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है । जिस तरह से देश में यह बाल विवाह...

श्री सभापति : हमें जरूरत है आपके प्रश्न की ?

श्री गुणानन्द ठाकुर : मैं समाप्त कर रहा हूं । शादी के चलते जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसी का विचार करते हुए मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कोई योजना बना रही है ताकि कानून के साथ साथ इस बाल-विवाह से उत्पन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जनसाधारण के सहयोग से इस प्रथा को समाप्त किया जाए,—जनजागरण के जरिए ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जहां तक जन जागरण की बात है, वह सामाजिक संस्थाएं ही कर सकती हैं, उसमें कानून के जरिए सफलता नहीं मिलती है। जहां तक कानून का सवाल है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हमने प्रदेशों की सरकारों से परामर्श किया है और उन्होंने सलाह दी है। उसके अनुसार कानून बनाने की बात चली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि इसमें एक चाइल्ड मैरिज प्रिवेन्शन आफिसर्स के लिए व्यवस्था की जाए और उनको सलाह देने के लिए कमेटियां भी बनायी जाएं।

श्री सभापति : श्री शाही।

श्री राजनारायण : यह नहीं कहा कि 4 आश्रम हों, जैसे कि पहले था . . .

श्री सभापति : राजनारायण जी, आप शाही जी को सवाल करने दीजिए।

श्री राजनारायण : . . . ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : राजनारायणजी, आप बैठ जाएं।

श्री राजनारायण : मैं उनको बताना चाहता हूं वही 4 आश्रम वाली व्यवस्था का पालन करें।

(Interruption)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस देश की परिस्थिति को देखते हुए और इस कुरीति को दूर करने के लिए—आजकल अपने यहां कुछ सालों से जो इस तरह की प्रथा चल पड़ी है कि बूढ़े धनी मानी लोगों, बूढ़े मंत्रियों और बूढ़े नेताओं ने कम उम्र की लडकियों से शादी करना शुरू कर दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस तरह का कानून बनाने की सोचेंगे जिसके द्वारा 60 वर्ष के ऊपर के बूढ़े लोग शादी न कर सकें ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : प्रश्न बाल विवाह से संबंधित है, बूढ़े विवाह से नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उत्तर नहीं मिला, श्रीमन्।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : प्रश्न बाल विवाह से संबंधित है और आपका प्रश्न बूढ़े विवाह से है। पर यह सुझाव विचारणीय है और इस पर भी विचार किया जाएगा।

SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN : Sir, the growing population in our country is a very big problem. The restrictions on age groups in respect of both the younger as well as the older people are considered very essential. I would, therefore, like to know from the hon. Minister whether they will introduce some legislation prohibiting persons of 35 years of age and above from marriage.

MR. CHAIRMAN : Now, that question has already come.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON : Sir, while the Government is considering the question of raising the age of marriage on the one hand, on the other hand the present stipulations in respect of these age limits are not being adhered to. One of the reasons for this is that girls are not educated and they do not go to schools and it is the responsibility of parents to marry them off early. Has the Government this aspect of the matter in view ? Will they properly implement the provisions of the enactment that is already there ? And, will the Government take necessary steps to see that larger number of girls are enable to go to schools and their education taken care of ?

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : It is a very good suggestion and I will transmit it to the Ministry concerned.

SHRI J. S. ANAND : Sir, will the hon. Minister kindly state the reasons which have been advanced by those States who have refused to make it a cognizable offence, especially Punjab ?

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : I have already said that three

States have said that it should not be made a cognizable offence and those States are Punjab, West Bengal and Orissa.

SHRI J. S. ANAND : I want to know what the reasons are for not making it a cognizable offence and which have been stated by the Punjab State.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : I cannot give the reasons. They have only stated that they do not want it to be a cognizable offence.

DR. R. K. CHAKRABARTI : Since the passing of the Child Marriage Restraint Act in 1929, I want to know how many cases have been referred to the courts uptil now and in how many of these cases the parents have been convicted.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : The enforcement of this law is with the State Governments and the figures must be available with them. We do not have any figures.

DR. R. K. CHAKRABARTY : Will you kindly let me know how many cases have been sent to the courts ?

MR. CHAIRMAN : You have put this question. You have got your answer.

Deletion of Nepali speaking voters from electoral rolls

*296. SHRI JAGJIT SINGH ANAND :†
SHRI B. D. BARMAN :
SHRI L. MAHAPATRO :
SHRI BHUPESH GUPTA :
DR. Z. A. AHMAD :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the names of a larger number of Nepali speaking voters on the electoral rolls of different constituencies in Assam are being deleted ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government have received any complaints on this account ; and

(c) if so, the main points raised therein ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITI RAJ SINGH CHOWDHURY) : (a) The information is being collected from the Chief Electoral Officer of the State of Assam and will be laid on the Table of the House.

(b) No such complaint has been received in the Ministry of Law.

(c) Does not arise.

SHRI J. S. ANAND : You say that the information is being collected. Can you assure the House by what time the information will be available ?

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : The Election Commission has already moved into the matter and we hope to get it very soon. I can assure the hon. Member that we will try to expedite and get the information as soon as possible, in the shortest possible time. But I cannot certainly fix the number of days.

SHRI NIREN GHOSH : But will you see that the names are not struck off the rolls ?

MR. CHAIRMAN : Any other question ?

SHRI J. S. ANAND : I would only like to ask whether he will see that in the meantime no names are deleted.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : Names are retained or entered or deleted according to qualifications laid down in the Representation of the People Act. If any person who is not a citizen of India has his name there, that name is bound to be removed, and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagjit Singh Anand.